कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर

क्रमांक/रसद/कोविड–19 (कोरोना वायरस)/2020/1101 दिनांक : 17/04/20

प्रेस–नोट

खादय सुरक्षा के पात्र परिवारों को ही मिलेगा राशन की दुकानों पर गेहूॅं

राशन की दुकानों पर अप्रेल 2020 का अतिरिक्त गेहूॅं का वितरण प्रारम्भ हो गया है। पूर्व मे एक बार उपभोक्ताओं का माह अप्रेल का वितरण दिनांक 28.03.2020 से ही प्रारम्भ कर दिया था। माह अप्रेल 2020 मे खादय सुरक्षा योजना मे चयनित पात्र परिवारों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूॅं प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क गेहूॅं का वितरण करवाया जा रहा है। इसमे अन्त्योदय परिवारों को भी 35 किलोग्राम के स्थान पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूॅं का वितरण किया जावेगा। वर्तमान मे राशन की दुकानों पर केवल पहले से खादय सुरक्षा मे चयनित पात्र परिवारों को ही गेहूॅं मिल रहा है जो लोग खादय सुरक्षा योजना मे चयनित नही है उनको राशन की दुकानों पर सामग्री नही मिल रही है जबकि ऐसे परिवार जो चयनित नही है ऐसे परिवार बार–बार राशन की दुकानों पर अनावश्यक चक्कर लगाते है एवं जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, नगरपरिषद, जिला रसद कार्यालय के स्टॉफ से भी दूरभाष पर बार–बार जानकारी करते है।

अतः सभी आमजन से अपील है कि खादय सुरक्षा मे जो भी पात्र नही है वे परिवार अनावश्यक राशन की दुकानों पर जाकर मेडिकल एडवायजरी का उल्लंघन नही करें।

Sonalh Jain

जिला रसद अधिकारी
सवाई माधोपुर

क्रमांक/सम/1101

दिनांक : 17/04/20

प्रतिलिपि :– निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

1 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर

Sonalh Jain

जिला रसद अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner